


28/1/26

पत्रावली आज पेश हुई। वासीगण
वकील अनुपस्थित। न्यायालय समय में
रुक-रुक कर तीन बार आवाने लगाई
गई बावजूद वासीगण व उनके वकील गैर
हाजिर रहे। अतः पत्रावली गैर हाजिर एवं
असम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली
जिसल शुमार लेकर दाखिले इफ्तार हो तब
नम्बर से कम हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

